

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 67/2021

शंकरलाल पि० मु० सूरजमल जाति ब्राहमण निवासी शेरडा त० भादरा।

:- वादी

बनाम


राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र पचार व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बीबीपुर के खाता सं० 101/97 के खसरा संख्या 200 की 0.9870 है० बारानी कुल खसरा 1 की 0.9870 है० बारानी कृषि भूमि तथा रोही मोजा बीबीपुर के ही खाता सं० 100/96 के खसरा सं० 30 की 2.1370 है० बारानी कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसमें रोही मोजा बीबीपुर के खाता सं० 101/97 की वादभूमि में वादी का नाम शंकरलाल पि० मु० सूरजमल की बजाय शंकरलाल वल्द परसराम तथा रोही मोजा बीबीपुर के खाता सं० 100/96 की वादभूमि में वादी का नाम शंकरलाल पि० मु० सूरजमल की बजाय शंकरलाल पि० मु० सुरजाराम दर्ज हो गया है। अतः रोही मोजा बीबीपुर के खाता सं० 101/97 में वादी का नाम शंकरलाल वल्द परसराम की जगह शंकरलाल पि० मु० सूरजमल तथा रोह मोजा बीबीपुर के ही खाता सं० 100/96 में वादी का नाम शंकरलाल पि० मु० सुरजाराम की जगह शंकरलाल पि० मु० सूरजमल किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.06.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़